

प्रस्तुति 2 (नियम 11 (4) देखिए)

विद्या का अधिकार

मानव संसाधन

मानव विकास

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक:/261721338/स्कूल आई.डी. - 14413
प्रति,

दिनांक:-

प्रबंधक,

(NEW DIGAMBER PUBLIC SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदया/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 02/02/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पाठ्यालयीन पत्र ट्यूबहार/ निरीक्षण के सदर्भी में, मैं आपकी स्कूल - NEW DIGAMBER PUBLIC SCHOOL, NDPS CAMPUS, KHANDWA ROAD, INDORE (M.P.) को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति लिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विद्युतित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बाहित सभी तथा कमज़ोर वर्ष के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुसार मैं निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम बच्चोंसे प्रतिशत के अधीन होगा। बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- पैरा 3 में लिखित बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैंपिटेशन फीस का संबंध नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिकारी के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सदृश के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलता, जन्मस्थान या इमर्जेंसी के किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को आरीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की अतीं की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहता प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन लिखित दर्ता कर्तव्यों का पालन करना होगा;

Validity unknown

Digital signature by RAJENDRA KAMOYANI प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

Date: 2019-03-31 19:54:18 IST स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्यों का अनुसरण करेगा।

Reason: Digitally Signed Location: NIC अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

ATTESTED

Winston

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

स्कूल व्यारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गर्याः-

सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8 स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	762300	89298
10 स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	224275	32133
11 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	609840	57165

अधोसंचयन का विवरण

कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1 कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	45	550	45
2 कार्यालय कक्ष-सह-अपडार कक्ष-सह-प्रशिक्षणाध्यापक कक्ष	2	700	2
3 शोजनालय-सह-अपडार	1	6815	1

अन्य सुविधाएँ

क्रमांक	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1 क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच वाधा रहत है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2 पठन पाठ्य सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3 खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4 पुस्तकों की संख्या	17646	17846
5 पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	34	34
6 पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7 पेयजल सुविधा की संख्या	16	16
8 शौचालय का प्रकार (आरतीय/पर्यावरणीय/मही)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9 लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	76	76
10 लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	76	76
11 विकलांग बच्चों के लिए डफ्युक्ट शौचालयों की संख्या	0	2
12 क्या अपनि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपर्केषित किए जाएंगे तथा घार्टेड एकाउन्टेट व्यारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..261721338.. एवं डाइस्कोड (DISE) 23260504009 है। इस कार्यालय के साथ पश्चात में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्यारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्यारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाधं "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपर्योगी और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

अवधीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला INDORE

मध्यप्रदेश

ATTESTED